

thing is that the problem of internal subversion is not being looked into and that is why we are not able to effectively deal with the problem of terrorist', in Kashmir.

SPECIAL MENTION

Problems faced by Migrant labour from Bihar while travelling on Railways

श्री नरेश भास्कर (बिहार) : महोदय, काफी प्रयास के बाद इस लोक-महत्व के मामले को उठाने का मुझे अवसर आपने मुझे दिया, इसके लिए मैं आपको आभारी हूँ। जो मामला है वह यह है कि पुर्वोत्तर भारत से, खासकर बिहार से बड़ी संख्या में मजदूर पश्चिमोत्तर भारत की ओर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की ओर रोजगार पाने के लिए आते हैं।

महोदय, यह मजदूर अपने गृह को जवाकर बिना की बिजनेस में आए को नियातता है और अपने पत्नी से किसानों के खेत को गुले-गुलजा कर देता है लेकिन जब से मजदूर बिहार से चलना है तो उसकी बड़ा दुर्दशा की जाती है, इसके बारे में मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। महोदय, जब मजदूर अपने गंतव्य स्थान से रेलगाड़ी पर चढ़ता है तो एक डिब्बे की कैपेसिटी है 90-96 पेजर्स की ओर थोड़ा टिकट लेकर वे लोग लगभग 1000 की संख्या में बैठते हैं तो उसके साथ क्या व्यवहार किया जाता है, यह मैं बताना चाहता हूँ। खासकर मैं महोदय एकसम्म के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। गाड़ी जब खुलती है तो टिकट निरीक्षक और रेलवे पुलिस मजदूर को उठाकर गेट के पास बिठा देते हैं और गेट के पास से फिर उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। जो 50 रुपये देता है उसको बगल वाली सीट अलाट की जाती है। और जो 30 रुपये देता है उनको चार सीट वाली जगह होती है वह दी जाती है और बीस रुपये देन वाले को सीट के ऊपर जो जगह होती है, वह दी जाती है। यह क्लासिफिकेशन करके उन सभी मजदूरों से, जो कमाने के लिए बिहार से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में आते हैं, पैसे लिए जाते हैं और उन मजदूरों के साथ यह शोषण की प्रक्रिया विचार में लेकर

जहां तक भी उनको जाना होता है, पंजाब हरियाणा, दिल्ली की ओर, वहां तक जारी रहती है और लोटते समय भी उनके साथ यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि यह मजदूर जो अपना खून-पसीना बेच करके इस देश की मालदारी बढ़ाता है, जो मेहनत करता है, क्या वह दोयम दर्जे का नागरिक है? क्या इस देश में यह माना जाता है कि जब तक वह पैसा नहीं देता, तब तक वह टिकट लेकर चलना भी उसके लिए अपराध है? यह प्रक्रिया वरसों से दोहराई जा रही है। मजदूरों का शोषण किया जाता है। इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकषित करना चाहता हूँ और खास करके रेल मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह इस बारे में बताएं कि मजदूरों का यह शोषण कब तक हो रहा होगा। क्या उसका बैच टिकट लेकर चलना भी अपराध है? यह कहां का संविधान है? यह कहां का नियम है? यह उस नियम किन्ने बताया कि उसमें पचास रुपये, तीस रुपये, बीस रुपये लेकर, क्लासिफिकेशन करके, फिर यात्रा करने दी जाएगी? यह अति गंभीर मामला है और इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए और सरकार की तरफ से इसका जवाब आना चाहिए। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभपति : लंच आवर हो रहा है। अभी बाकी स्पेशल मेशन जो है -

We will take them up after the Government business... (Interruptions)... No. not after Lunch. After 5 o'clock. We will finish the business which is pending, i.e. the Ordinance on Cable. (Interruption)... First I will finish the Bill; then we will have other business. The Ordinances have got their precedence over any other business. It is good enough that the Chairman allowed so much. The Special Mentions will come after the Government business is over.

The House is adjourned for Lunch for one hour.

The House then adjourned for lunch at thirty-two minutes past one of the clock.